MINISTRY OF LAW
SINGAPORE

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
विधि एवं न्याय मंत्रालय
MINISTRY OF LAW & JUSTICE

सिंगापुर गणराज्य की सरकार के विधि मंत्रालय
और भारत गणराज्य की सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के बीच विधि और विवाद समाधान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन

सिंगापुर गणराज्य की सरकार का विधि मंत्रालय और भारत गणराज्य की सरकार का विधि और न्याय मंत्रालय (इसके बाद से एकवचन में "प्रतिभागी" और सामूहिक रूप से "प्रतिभागियों" के रूप में संदर्भित);

दोनों देशों के बीच संबंधों के बढ़ते महत्व और इन संबंधों में विधि सम्मत शासन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को **मान्यता** देते हुए, और

सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से मौजूदा संबंधों को और मजबूत करने और नागरिकों और विधि संबंधी व्यक्तियों के सामान्य हित के लिए सहयोग को बढ़ावा देने की **इच्छा रखते हुए**, प्रतिभागियों ने कानून और विवाद समाधान, विशेष रूप से वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है।

एतदद्वारा प्रतिभागियों ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:

भाग 1

सामान्य

1.1 प्रतिभागियों को, इस समझौता ज्ञापन के अनुसार सहयोग करते समय, अपनी-अपनी क्षमताओं के अंतर्गत और अपने-अपने देशों के राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार कार्य करना होगा।

1.2 दोनों प्रतिभागी कानून और विवाद समाधान सेवाओं से संबंधित सामान्य मुद्दों पर सहयोग करना चाहते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

क) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान;

ख) संबंधित देशों में मजबूत एडीआर तंत्र को बढ़ावा देने से संबंधित मामले; और

ग) प्रतिभागियों द्वारा सहमति के अनुसार पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्र

भाग 2

सहयोग के प्रकार

2.1 प्रतिभागी निम्नलिखित तरीके से सहयोग कर सकते हैं:

क) माध्यस्थम, सुलह और मध्यस्थता के क्षेत्रों में विशेषज्ञता और प्रशिक्षण के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना ;

ख) विधि शिक्षा के संबंध में अनुभव के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और विधि वृतिकों/विधि व्यवसायियों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना;

ग) अनुसंधान-आधारित सरकारी नीति की योजना बनाने और उसे तैयार करने, कानून बनाने और कानूनी मसौदा तैयार करने के संबंध में सरकारी अधिकारियों के कानूनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए सूचना साझा करने संबंधी दौरों का आयोजन करें;

घ) एडीआर और कानून के शासन से संबंधित मुद्दों और मामलों पर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और संयुक्त पाठ्यक्रमों को सुविधाजनक बनाना और आयोजित करना;

ड.) अंतरराष्ट्रीय कानूनी महत्व के वर्तमान मुद्दों के संबंध में जानकारी के आदान-प्रदान के अवसरों को प्रदान करना;

च) किसी भी प्रतिभागी द्वारा आयोजित या होस्ट किए गए समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेना; और

छ) समय-समय पर सहयोग के अन्य रूपों में जिन पर प्रतिभागी सहमत हों, में भाग लेना,

भाग 3

संयुक्त परामर्शदात्री समिति - स्थापना एवं कार्य

3.1 दोनों प्रतिभागी इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति स्थापित करने पर सहमत हैं, जिसकी सह-अध्यक्षता या तो मंत्री स्तर या सचिव स्तर पर की जाएगी।

3.2 प्रत्येक प्रतिभागी संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है

3.3 संयुक्त परामर्शदात्री समिति के कार्य हैं:

क) समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को साकार करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव बनाना और उसे लागू करने के संभावित तरीके सुझाना; और

ख) सूचनाओं के आदान-प्रदान और दौरों के माध्यम से इस बात पर विचार करना कि अनुभवों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को कैसे सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

3.4 आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त परामर्शदात्री समिति के कार्यों और सदस्यता की समीक्षा की जा सकती है।

भाग 4

संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकें एवं रिपोर्ट

4.1 प्रतिभागियों की सहमति से, संयुक्त परामर्शदात्री समिति की वर्ष में कम से कम एक बार नियमित रूप से बैठक करने की परिकल्पना की गई है। संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकें दोनों देशों के बीच बारी-बारी से सिंगापुर और भारत में अन्यथा या प्रतिभागियों द्वारा सहमति के अनुसार आयोजित की जाएंगी। प्रतिभागियों की सहमति से संयुक्त परामर्शदात्री समिति की आभासी (वर्चुअल) बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं।

4.2 संयुक्त परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों और निर्णयों को इसकी बैठकों के कार्यवृत्त में रिकॉर्ड किया जाना है।

भाग 5

गोपनीयता

5.1 इस व्यवस्था के तहत संप्रेषित या प्राप्त की गई किसी भी जानकारी को गोपनीय जानकारी ("गोपनीय जानकारी") माना जाएगा और इसका उपयोग केवल इस समझौता ज्ञापन द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। प्रतिभागी अन्य प्रतिभागी की पूर्व लिखित सहमति के बिना ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे। उन्हें प्राप्तकर्ता देश में गोपनीयता और आधिकारिक गोपनीयता के संबंध में वही सुरक्षा प्रदान की जाएगी जो उस देश में अपने क्षेत्र में प्राप्त उसी प्रकार की जानकारी, दस्तावेजों या ऐसे अन्य संचारों पर लागू होती है।

5.2 प्रतिभागी केवल इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गोपनीय जानकारी का उपयोग करने के लिए सहमत हैं। प्रतिभागी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा और अनाधिकृत उपयोग, पहुंच या उसके प्रकटीकरण को रोकने के लिए उचित उपाय करने पर सहमत हैं।

5.3 यह भाग इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति पर भी कायम रहेगा।

भाग 6

विवादों का समाधान

6.1 प्रतिभागी इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद, जिसमें इस समझौता ज्ञापन की विवेचन, अनुप्रयोग या कार्यान्वयन शामिल है, को यथासंभव, आपसी परामर्श या बातचीत या राजनयिक आदान-प्रदान के माध्यम से सौहार्दपूर्ण और सद्भाव के साथ बिना किसी तीसरे पक्ष, न्यायिक प्राधिकरण, अधिकरण या मंच के हस्तक्षेप के निपटाया या समाधान किया जाना चाहिए।

6.2 यह भाग 6 इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बाद भी कायम रहेगा।

भाग 7

कानूनी प्रभाव, अधिकार और दायित्व

7.1 इस समझौता ज्ञापन के भाग 5 (गोपनीयता) और भाग 6 (विवादों का समाधान) के अपवाद के साथ, प्रतिभागी इस बात से सहमत हैं कि इस समझौता ज्ञापन में कुछ भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी व्यक्ति या प्रतिभागी के लिए कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार या बाध्यकारी दायित्वों को न तो स्थापित करता है व ना ही करने का इरादा रखता है।

7.2 शंका से बचने के लिए, यह समझौता ज्ञापन दोनों प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षरित किसी अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते या समझौता ज्ञापन में प्रदान किए गए किसी भी अधिकार या दायित्व को प्रभावित नहीं करता है।

भाग 8

लागत और व्यय

8.1 इस समझौता ज्ञापन के तहत कार्यान्वित सभी गतिविधियां निधियों की उपलब्धता के अधीन हैं।

8.2 प्रत्येक प्रतिभागी अपने प्रतिनिधिमंडल/सदस्यों की यात्रा के संबंध में अपनी यात्रा और इस समझौता ज्ञापन से संबंधित आवास, स्थानीय परिवहन और दवा जैसे अन्य व्ययों को जब तक कि प्रतिभागियों द्वारा अन्यथा सहमति न दी गई हो, स्वयं वहन करने के लिए सहमत है।

भाग 9

भाषा

9.1 प्रतिभागी इस समझौता ज्ञापन के लिए कामकाजी भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग करने पर सहमत हैं।

भाग 10

समापन प्रावधान

10.1 इस समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए दोनों देशों में संपर्क बिंदु नामित किया गया है। वह संपर्क बिंदु:

क) सिंगापुर गणराज्य में, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी इकाई, विधि उद्योग प्रभाग, विधि मंत्रालय के प्रमुख हैं; और

ख) गणराज्य में, विधि और न्याय मंत्रालय में विधि कार्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय विधि और सहयोग प्रभाग के अपर सचिव/संयुक्त सचिव हैं।

10.2 इस समझौता ज्ञापन के प्रावधान प्रतिभागियों के बीच बनी समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों प्रतिभागियों के हस्ताक्षर के बाद प्रभावी होंगे।

10.3 यह समझौता ज्ञापन किसी भी भागीदार द्वारा समाप्त किए जाने तक लागू रहेगा।

10.4 कोई भी भागीदार दूसरे भागीदार को तीन (3) महीने की लिखित सूचना देकर समझौता ज्ञापन समाप्त कर सकता है।

10.5 जब तक कि दोनों प्रतिभागी अन्यथा सहमत न हों, इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति से समझौता ज्ञापन की समाप्ति से पहले शुरू की गई किसी भी चल रही परियोजना या गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों प्रतिभागी समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बाद भी ऐसी परियोजनाओं या गतिविधियों पर सहयोग करने के लिए सहमत हैं।

10.6 इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को प्रतिभागियों की लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधित और पूरक किया जा सकता है।

10.7 इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी हस्ताक्षरकर्ताओं ने, अपनी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत होने के कारण, वर्तमान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

मार्च 2024 के 14वें दिन को नई दिल्ली में अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किये गए, प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। हालाँकि, मतभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

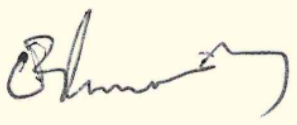

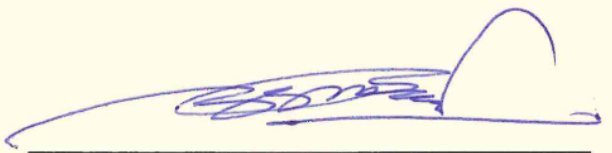

सिंगापुर गणराज्य के विधि मंत्रालय के लिए	भारत गणराज्य के विधि और न्याय मंत्रालय के लिए

MINISTRY OF LAW
SINGAPORE

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
विधि एवं न्याय मंत्रालय
MINISTRY OF LAW & JUSTICE

Memorandum of Understanding
between
the Ministry of Law of the Government of the Republic of Singapore
and
the Ministry of Law and Justice of the Government of the Republic of India
on cooperation between both countries in the sphere of Law and Dispute Resolution

The Ministry of Law of the Government of the Republic of Singapore and the Ministry of Law and Justice of the Government of the Republic of India (hereinafter referred to singularly as "the Participant" and collectively as "the Participants");

Recognising the growing importance of ties between the two countries and the vital role played by the Rule of Law in these relationships, and

Being Desirous of the further strengthening of existing relations through the exchange of information and promoting cooperation for the general good of citizens and legal persons, the Participants have decided to enter into a Memorandum of Understanding (MOU) to strengthen cooperation in the area of law and dispute resolution, particularly in the area of Alternative Dispute Resolution (ADR).

The Participants have hereby reached the following understandings:

Part 1
General

1.1 The Participants, when co-operating in accordance with this MOU, are to act within their respective competencies and in accordance with the national laws and international obligations of their respective countries.

1.2 Both Participants wish to cooperate on matters of common concern relating to law and dispute resolution services, including but not limited to:

a) International commercial dispute resolution;

b) Matters relating to the promotion of robust ADR mechanisms in the respective countries; and

c) Other areas of mutual interest as agreed by the Participants.

Part 2
Forms of Cooperation

2.1 The Participants may co-operate in the following manner:

a) promote the exchange of expertise and training in the areas of arbitration, conciliation and mediation;

b) promote the exchange of experience in respect of legal education and facilitate the training of legal professionals;

c) organise information sharing visits to enhance the legal knowledge of government officials, with regard to planning and devising research-based government policy, law making and legal drafting;

d) facilitate, hold and organise meetings, symposiums, conferences and joint courses on issues and matters related to ADR and the Rule of Law;

e) provide opportunities for the exchange of information regarding current issues of international legal significance;

f) participate in events and activities relating to the MOU that are organised or hosted by either Participant; and

g) engage in other forms of cooperation that the Participants may agree on, from time to time.

Part 3
Joint Consultative Committee - Establishment and Functions

3.1 Both Participants agree to establish a Joint Consultative Committee which is to be co-chaired either at the Ministerial or Secretary level to promote and advance the purposes of this MOU.

3.2 Each Participant may appoint additional persons to take part in the meetings of the Joint Consultative Committee.

3.3 The functions of the Joint Consultative Committee are:

a) to make specific proposals for realising the objectives of the MOU and suggest possible ways for implementing the same; and

b) to consider how the exchange of experiences and expertise can be facilitated, including by way of the exchange of information and visits.

3.4 The functions and membership of the Joint Consultative Committee may be reviewed as and when required.

Part 4
Meetings and Reports of Joint Consultative Committee

4.1 The Participants envisage the Joint Consultative Committee to meet regularly at least once a year, subject to the agreement of the Participants. The meetings of the Joint Consultative Committee are to be hosted in Singapore and India, alternating between the two countries or as otherwise agreed by the Participants. Virtual meetings of the Joint Consultative Committee may also be held, subject to the agreement of the Participants.

4.2 The Joint Consultative Committee's recommendations and decisions are to be recorded in the minutes of its meetings.

Part 5
Confidentiality

5.1 Any information communicated or obtained under the arrangement will be treated as confidential information ("**Confidential Information**") and will be used only for the purposes specified by this Memorandum of Understanding. The Participants shall not disclose such information without the prior written consent of the other Participant. They will be accorded in the receiving country the same protection in respect of confidentiality and official secrecy as applied in that country to the same kind of information, documents or other such communications obtained in its own territory.

5.2 The Participants agree to use Confidential Information only to fulfil the purposes of this MOU. The Participants agree to take reasonable measures to protect Confidential Information and to prevent the unauthorised use, access or its disclosure.

5.3 This Part shall survive the termination of this MOU.

Part 6
Resolution of Disputes

6.1 The Participants agree that any difference or dispute that may arise out of this MOU, including the interpretation, application or implementation of this MOU should, as far as possible, be settled or resolved through mutual consultations or negotiations or through Diplomatic Exchange amicably and in good faith, without reference to any third party, judicial authority, tribunal or forum.

6.2 This Part 6 shall survive the termination of this MOU.

Part 7
Legal Effect, Rights and Obligations

7.1 With the exception of Part 5 (Confidentiality) and Part 6 (Resolution of Disputes) of this MOU, the Participants agree that nothing in this MOU creates or is intended to create, any legally enforceable rights or binding obligations under domestic or international law on any person or either Participant.

7.2 For avoidance of doubt, this MOU does not affect any rights or obligations provided for in any international treaty, agreement or memorandum of understanding to which one or both of the Participants is a signatory.

Part 8
Costs and Expenses

8.1 All activities implemented under this MOU are subject to the availability of funds.

8.2 Each Participant agrees to bear its own travel and other expenses that arise in relation to this MOU such as accommodation, local transport and medication, in cases of visit of its delegation/members, unless otherwise agreed by the Participants.

Part 9
Language

9.1 The Participants agree to use English as the working language for this MOU.

Part 10
Concluding provisions

10.1 The point-of-contact in the two countries is designated to implement this MOU. That point-of-contact:

a) in the Republic of Singapore, is the Head of International Partnerships Unit, Legal Industry Division, Ministry of Law; and

b) in the Republic of India, is the Additional Secretary/Joint Secretary, International Law & Cooperation Division the Department of Legal Affairs, in the Ministry of Law and Justice.

10.2 The provisions of this MOU represent the understandings reached between the Participants and are to enter into effect on signature by both Participants.

10.3 The MOU will remain in force until terminated by either Participant.

10.4 Either Participant may terminate the MOU by giving the other Participant three (3) months' written notice.

10.5 The termination of this MOU does not affect any ongoing projects or activities that have commenced prior to the termination of the MOU, unless both Participants agree otherwise. Both Participants agree to cooperate on such projects or activities even after the termination of the MOU.

10.6 The provisions of this MOU may be amended and supplemented at any time mutually by written consent of the Participants.

10.7 In witness whereof, the undersigned signatories, being duly authorized by their respective governments, have signed the present MOU.

Signed at New Delhi on the 19th day of May 2024 in two originals each in English and Hindi languages, each text being equally authentic. However, in case of difference, the English text will prevail.

For the Ministry of Law of the Republic of Singapore

For the Ministry of Law and Justice of the Republic of India